मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १३ सन् २०२१

मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, २०२१

मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, १९९९ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, २०२१ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा ४ का स्थापन.

२. मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, १९९९ (क्रमांक २३ सन् १९९९) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति.

"४. (१) प्रत्येक जल उपभोक्ता संथा के लिए एक प्रबंध समिति होगी जो उनके अपने-अपने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से, धारा ३ की उपधारा (४) के खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) में यथाविनिर्दिष्ट जल उपभोक्ताओं द्वारा प्रत्यक्षत: निर्वाचित धारा ३ की उपधारा (२) में यथाविनिर्दिष्ट प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों से मिलकर बनेगी.

(२) जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति एक अभंग निकाय होगी, जिसके एक तिहाई निर्वाचित सदस्य उपधारा (३) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार, प्रत्येक दो वर्ष में सेवानिवृत्त होंगे.

(३) प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों की पदावधि, यदि उन्हें अधिनियम के उपबंधों के अधीन वापस नहीं बुलाया गया हो या हटाया नहीं गया हो या निरर्हित नहीं किया गया हो, धारा २१ की उपधारा (१) के अधीन सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति की तारीख से छह वर्ष होगी:

परन्तु प्रथम निर्वाचन में, समस्त प्रादेशिक क्षेत्रों के सदस्य एक बार में निर्वाचित किए जाएंगे, जिनमें से एक तिहाई सदस्य दो वर्ष पूर्ण हो जाने पर, दूसरे एक तिहाई सदस्य चार वर्ष पूर्ण होने के पश्चात्, तथा शेष एक तिहाई सदस्य पद के छह वर्ष पूर्ण हो जाने के पश्चात्, सेवानिवृत्त होंगे और उनकी सेवानिवृत्ति की अवधि को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों का प्रथम निर्वाचन प्रारम्भ होने के पूर्व लॉट डालकर विनिश्चित किया जाएगा.

(४) जिला कलक्टर, किसी जल उपभोक्ता क्षेत्र के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य से मिलकर बनने वाली प्रबंध समिति के निर्वाचन के लिए गुप्त मतदान द्वारा विहित रीति में व्यवस्था कराएगा.

(५) जिला कलक्टर, विहित रीति में, जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति के सदस्यों में से प्रबंध समिति के एक अध्यक्ष के निर्वाचन की भी व्यवस्था करेगा.

(६) यदि उपधारा (४) और (५) के अधीन किसी निर्वाचन में जल उपभोक्ता संथा के अध्यक्ष या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्य निर्वाचित नहीं किए जा सके हों तो विहित रीति में नया निर्वाचन कराया जाएगा.

(७) जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति का अध्यक्ष, यदि उसे अधिनियम के उपबंधों के अधीन वापस नहीं बुलाया गया हो या हटाया नहीं गया हो या निरर्हित नहीं किया गया हो, निर्वाचन की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के लिए या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य के रूप में उसका कार्यकाल पूरा होने तक जो भी पूर्वतर हो, पद पर रहेगा.

(८) सामान्य निर्वाचन के पश्चात् बनाई गई समस्त जल उपभोक्ता संथाओं की प्रबंध समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि भी उसी समय समाप्त हो जाएगी जबकि वह उस समय समाप्त होती यदि वह सामान्य निर्वाचन में निर्वाचित हुआ होता.

(९) प्रबंध समिति, जल उपभोक्ता संथा की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगी.''.

धारा ६ का संशोधन. ३. मूल अधिनियम की धारा ६ की उपधारा (७) का लोप किया जाए.

धारा ८ का संशोधन. ४. मूल अधिनियम की धारा ८ की उपधारा (६) का लोप किया जाए.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

जल उपभोक्ता संथा के कार्य करने में निरन्तरता बनाए रखने की दृष्टि से, जल उपभोक्ता संथा का कार्यकाल वर्तमान में छह वर्ष किया जाना प्रस्तावित है और प्रत्येक दो वर्ष पश्चात्, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के एक तिहाई सदस्य चक्रानुक्रम में निर्वाचित किए जाना प्रस्तावित है. मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, १९९९ (क्रमांक २३ सन् १९९९) में, धारा ४ की उपधारा (६) में यह उपबंधित है कि जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य को यदि पूर्व में वापस न बुलाया गया हो, तो वे सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति की तारीख से पांच वर्ष की पदावधि के लिए पद पर रहेंगे. जल उपभोक्ता संथा के पदाधिकारियों को उनकी क्षमता के निर्माण के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है. ५ वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात्, प्रबंध समिति के नए अध्यक्ष/सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए नए निर्वाचन किए जाते हैं. जल उपभोक्ता संथा की अवधि में निरंतरता नहीं है. निर्मित सिंचाई क्षमता तथा वास्तविक सिंचाई के बीच दूरी को कम करने के लिए, सैच्य क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है. भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार जल उपभोक्ता संथा स्वाभाविक रूप से जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे सैच्य क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम के लिए आवश्यक कार्यान्वयन अभिकरण है. अतः जल उपभोक्ता संथा की अवधि में निरंतरता की आवश्यकता अनुभव की गई है. अतएव, मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, १९९९ की धारा ४, ६ और ८ में यथोचित संशोधन प्रस्तावित हैं.

६. अतएव, यह विधेयक प्रस्तावित है.

भोपाल:
तारीख १६ फरवरी, २०२१.

तुलसीराम सिलावट
भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड २ (४), (५) एवं (६) द्वारा प्रबंध समिति के निर्वाचन गुप्त मतदान से करने, प्रबंध समितियों में एक अध्यक्ष के निर्वाचन की व्यवस्था तथा अध्यक्ष या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य निर्वाचित नहीं किए जा सकने की स्थिति में नया निर्वाचन कराए जाने के संबंध में रीति विहित किये जाने संबंधी प्रत्यायोजन राज्य सरकार को किये जा रहे हैं, जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, १९९९ (क्रमांक २३ सन् १९९९) से उद्धरण.

* * * * *

४. जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति—

"४. (१) प्रत्येक जल उपभोक्ता संथा के लिए एक प्रबंध समिति होगी जो जल उपभोक्ता क्षेत्र के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से एक अध्यक्ष तथा एक सदस्य से मिलकर बनेगी.

(२) कलक्टर, जल उपभोक्ता संथा के की प्रबंध समिति के अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा गुप्त मतदान पद्धति के माध्यम से, ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, व्यवस्था कराएगा.

(३) कलक्टर, प्रबंध समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिए भी गुप्त मतदान पद्धति के माध्यम से, ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, व्यवस्था करेगा.

(४) यदि उपधारा (२) तथा (३) के अधीन किसी निर्वाचन में जल उपभोक्ता संथा के अध्यक्ष या किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य निर्वाचित नहीं किए जा सके हों तो नया निर्वाचन, ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, कराया जाएगा.

(५) यदि जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति में कोई महिला सदस्य नहीं है तो प्रबंध समिति, सदस्य के रूप में एक महिला को सहयोजित कर सकेगी जो कि साधारणतः कृषक संगठन क्षेत्र की निवासी होगी.

(६) प्रबंध समिति के अध्यक्ष और सदस्य यदि पूर्व में उन्हें वापस नहीं बुलाया गया हो, धारा २१ की उपधारा (१) के अधीन सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के लिए पद पर रहेंगे:

परन्तु प्रबंध समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि का अवसान होने पर एक नई प्रबंध समिति गठित नहीं की जाती है, तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, प्रबंध समिति के अध्यक्ष तथा सदस्य की पदावधि में वृद्धि, ऐसी वृद्धि का कारण अभिलिखित करते हुए, ऐसे अवसान की तारीख से छह मास की और कालावधि के लिये कर सकेगी.

(७) प्रबंध समिति, जल उपभोक्ता संथा की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगी.

(८) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उनके लिए कारणों को अभिलिखित करते हुए, पांच वर्ष की कालावधि के पूर्व, जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति को विघटित कर सकेगी और नया निर्वाचन ऐसी रीति में किया जाएगा जैसी कि विहित की जाए."

* * * * *

६. वितरिका समिति की प्रबंध समिति का निर्वाचन—

"६. (१) प्रत्येक वितरिका समिति के लिए, वितरिका समिति के साधारण निकाय के समस्त सदस्यों से मिलकर बनने वाली एक प्रबंध समिति होगी.

(२) जिला कलक्टर, वितरिका समिति की प्रबंध समिति के सदस्यों में से अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए गुप्त मतदान द्वारा ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, इंतजाम करेगा.

(३) यदि उपधारा (२) के अधीन कराए गए निर्वाचन में अध्यक्ष निर्वाचित नहीं किया जाता है तो यथाविहित रीति में नए निर्वाचन कराए जाएंगे.

(४) यदि वितरिका समिति की प्रबंध समिति में कोई महिला सदस्य नहीं है तो प्रबंध समिति, सदस्य के रूप में एक महिला को सहयोजित कर सकेगी जो कि साधारणत: कृषक संगठन क्षेत्र की निवासी होगी.

(५) वितरिका समिति की प्रबंध समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि, यदि अधिनियम के उपबंधों के अधीन पूर्व में ही उन्हें वापस नहीं बुलाया गया हो या जब तक उन्हें हटाया न गया हो या निरर्हित न किया गया हो, धारा ५ की उपधारा (३) में विनिर्दिष्ट साधारण निकाय की अवधि की सहविस्तारी होगी.

(६) प्रबंध समिति, वितरिका समिति की शक्ति का प्रयोग तथा कृत्यों का पालन करेगी.

(७) यदि जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति, धारा ४ की उपधारा (८) के अधीन पांच वर्ष की कालावधि के पूर्व विघटित की जाती है, जो उस दशा में, वितरक समिति की प्रबंध समिति स्वत: विघटित हुई समझी जाएगी.''.

* * * * *

८. **परियोजना समिति के लिए प्रबंध समिति का निर्वाचन**—

''८. (१) प्रत्येक परियोजना समिति के लिए एक प्रबंध समिति होगी, जो परियोजना समिति के लिए साधारण निकाय के समस्त सदस्यों से मिलकर बनेगी.

(२) (क) परियोजना समिति की प्रबंध समिति के सदस्यों से सभापति (चेयरपर्सन) के गुप्त मतदान पद्धति द्वारा निर्वाचन के लिए जिला कलक्टर ऐसी रीति में व्यवस्था करवाएगा जैसी कि विहित की जाए.

(ख) वृहद् परियोजनाओं की परियोजना समिति के सभापति (चेयरपर्सन) परियोजना क्षेत्र की वितरिका समिति के अध्यक्षों में से निर्वाचित किए जाएंगे जबकि मध्यम परियोजनाओं के सभापति (चेयरपर्सन) परियोजना क्षेत्र की जल उपभोक्ता संथा के अध्यक्षों में से निर्वाचित किए जाएंगे.

(ग) यदि खण्ड (क) तथा (ख) के अधीन कराए गए निर्वाचन में सभापति (चेयरपर्सन) निर्वाचित नहीं होता है तो यथाविहित रीति में नये निर्वाचन कराए जाएंगे.

(३) परियोजना समिति की प्रबंध समिति में यदि कोई महिला सदस्य न हो तो प्रबंध समिति किसी महिला को एक सदस्य के रूप में सहयोजित करेगी जो सामान्यतया कृषकों के संगठन के क्षेत्र में निवासी होगी.

(४) परियोजना समिति की प्रबंध समिति के सभापति (चेयरपर्सन) और सदस्यों की पदावधि के पूर्व अधिनियम के उपबंधों के अधीन यदि उसे वापस नहीं बुलाया जाता या हटाया नहीं जाता या निरर्हित नहीं कर दिया जाता है तो धारा ७ की उपधारा (३) में विनिर्दिष्ट साधारण निकाय की अवधि सहविस्तारी होगी.

(५) प्रबंध समिति, परियोजना समिति की शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का निर्वहन करेगी.

(६) यदि जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति, धारा ४ की उपधारा (८) के अधीन पांच वर्ष की कालावधि के पूर्व विघटित की जाती है, तो उस दशा में, परियोजना समिति की प्रबंध समिति स्वत: विघटित हुई समझी जाएगी.''.

* * * * *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.